## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :- सत्यनारायण (आर0ए0एस0) C.A.

प्रकरण संख्या – 634/2022

192/2021

अनवान : –

1. दलिपसिंह पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. रूकमा पत्नी सुगनाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. मेहरसिंह पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. भोजराज सिंह पुत्र कुन्दनलाल जाति ब्राहमण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. दानाराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी भावलदेसार तहसील नोहर।
5. राज राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पजीयक कार्यालय एवं उपतहसील खुईया तहसील नोहर।
7. सुशील कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार साकिन भूनावाली ढाणी तह0 व जिला हनुमानगढ़।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– 1. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिह पुनिया **गैरसायल**

**निर्णय** दिनांकः 18/9/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 230/94 की 3.9840 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 197/94 की कुल 3.5294 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादग्रस्त भूमि मुश्तरका दर्ज है तथा गैरसायलान उक्त भूमि में सींव डोल व काश्त व लगान हेतु झगड़ा फसाद रखते है इसलिए सायल वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अपनी भूमि जो की पूर्व में उबड़–खाबड़ थी को काफी समतल व उपजाउ बनाय है तथा उक्त वाद भूमि पर काफी खर्चा किया है गैरसायल स0 1 वाद भूमि में विशेष हिस्सा जो अच्छी किस्म की भूमि है का बैचान करने पर आमादा है तथा विभाजन से पूर्व अजनबी लोगो को वाद भूमि पर काबिज करवाना चाहते है। यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायल स0 1 को पाबन्द करा पाने का मजाज है कि वाद भूमि को अन्यत्र रहन/बैय व मुन्तकिल करने व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

सायल का प्रथम दृष्टया प्रकरण बखूबी साबित है तथा प्राकृतिक न्याय का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बनता है क्योंकि अगर गैरसायल मुश्तरका खाता की भूमि का बैचान करता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की निषेधाज्ञा जारी कि जावें की तारफसला दावा रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 197/94

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

की 3.5294 हैक्ट एवं खाता संख्या 230/94 की 3.9848 हैक्ट भूमि का जब तक खाता विभाजन नही हो जाता उक्त वाद भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल आदि नही करें और विशेष हिस्से का बेचान न करें एवं रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 230/94 की 3.9840 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 197/94 की कुल 3.5294 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के किसी विशेष हिस्से का बेचना नही करें। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 न तो स्वयं उपस्थित न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित अतः अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी स0 1 की और से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की वाद भूमि में गैरसायल श्रीराम के फौत होने के बाद अप्रार्थीया रूकमा 1/ 2 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार हैं । वाद भूमि पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का प्रश्न तीनों बिन्दु विविध प्रकरण स0 02/2022 बअनवानी दलिपसिंह बनाम सुशील कुमार आदेश दिनांक 28.04.2022 विरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर के द्वारा स्थगन आदेश एवं दलिप सिंह का स्वीकार किया गया है वर्तमान में सिविल न्यायालय के उक्त आदेश के जैरकार रहते भूमि की यथास्थिति बनाए रखे जाना न्यायहित व कानूनी रूप से आवश्यक है।

अप्रार्थी स0 6 के द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की अप्रार्थी स0 1 श्रीराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता संख्या 197/94 की कुल 3.5294 हैक्ट भूमि मे से 0.4765 हैक्ट एवं खाता संख्या 231/94 की कुल 2.9221 हैक्ट भूमि में से 0.9740 हैक्ट भूमि तथा खाता संख्या 230/94 के ख0न0 215/2 की कुल 3.9848 हैक्ट भूमि में से 0.3205 हैक्ट भूमि तीनों खातों की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि को उत्तरदाता सुशील कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार साकिन भुनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़ को जरिय बैयनामा दिनांक 23.12.2021 को बैय कर मौके पर कब्जा सौंप दिया था जो उत्तरदाता के कब्जा काश्त में चला आ रहा है उत्तरदाता वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय गैरसायल के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना [illegible] प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति [illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:09 IST
Reason: SelfAttested

खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रामकुमार C.A.

सुशील कुमार पुत्र रामप्रताप जाति कुम्हार साकिन भूनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.12.2021 को खरीद की है तथा वर्तमान में इनके कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी सुशील कुमार पुत्र रामप्रताप ने श्रीराम से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर भूमि की कीमत चुकाई है। मृतक श्रीराम द्वारा अपनी हक, हिस्सा व कब्जाशुदा भूमि का ही बेचान किया गया है जिससे प्रार्थी को कोई क्षति होनें की संभावना नहीं है क्योंकि मृतक श्रीराम ने अपने हक हिस्सा एवं कब्जाशुदा भूमि का बेचान किया था न कि प्रार्थी के हिस्सा और न ही किसी विशेष हिस्से का बेचान किया गया है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/9/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:09 IST
Reason: SelfAttested